प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-07.05.2026

जनपद अम्बेडकरनगर - पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्रीमान व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.05.2026 को मृतक सूरज पुत्र दिलीप निवासी ग्राम जहानियापुर मछलीगांव थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर की हत्या का सफल अनावरण।

थाना सम्मनपुर पर मु0अ0सं0 93/26 धारा 191(2)/61(2)/103(1) बीएनएस बनाम सिकन्दर पुत्र मोती निवासी ग्राम जहानियापुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर आदि 06 नफर नामजद व 05 अज्ञात पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में अवलोकन सीडीआर एंव अन्य संकलित साक्ष्यों से प्रकाश में आया कि मृतक सूरज पुत्र दिलीप के सम्बन्ध सम्मनपुर गांव की एक लड़की से था । जिससे मिलने के लिए सूरज रात्रि करीब 08.00 बजे गांव के पीछे स्थित बाग मे गया था कि तभी गांव सम्मनपुर निवासी अरबाज पुत्र मो0 असलम जो उसी लड़की से पहले से ही प्रेम करता था डन्डा लेकर आया और सूरज को पकड़ लिया तथा अपने दोस्त शादाब पुत्र स्व0 नूरुल हसन को फोन करके बुलाया । वह भी डन्डा लेकर आया और दोनों सूरज को मारने लगे और लड़की को धमका कर भगा दिये । इनके मारने से सूरज की मृत्यु हो गयी और दोनो मृतक के शव को छोड़कर अपने घर भाग गये । साक्ष्य से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. अरबाज पुत्र मो0 असलम 02. शादाब पुत्र स्व0 नूरुल हसन निवासीगण ग्राम सम्मनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर को थानाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.05.26 को समय 05.15 बजे पचहत्तर की बगिया थाना सम्मनपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. अरबाज पुत्र मो0 असलम निवासी ग्राम सम्मनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. . शादाब पुत्र स्व0 नूरुल हसन निवासी ग्राम सम्मनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर

विवरण पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 93/26 धारा 191(2)/61(2)/103(1) बीएनएस थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री दिनेश कुमार सिंह

उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप

उ0नि0 दिनेश कुमार राय

हे0का0 राजकुमार कुशवाहा

का0 कृष्णचन्द्र यादव

का0 अतुल यादव

का0 विशाल शर्मा